जालौन पुलिस

दिनांक –07.11.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कोन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तो को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये कुल 02 अभियोग में 02 अभियुक्तगण को मान0 न्यायालय द्वारा अधिक से अधिक सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण प्रथम – अभियुक्त आशीष पुत्र विजय कुशवाहा नि0 ग्राम नवलपुरा थाना कालपी जनपद जालौन द्वारा वादी की पुत्री के साथ की गयी घटना के सम्बन्ध में कोतवाली कालपी में मु0अ0सं0 183/19 धारा 363/366/376 भादवि व ¾ पॉक्सो एक्ट व 3(2)v एससी/एसटी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 07.11.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे पॉक्सो कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त आशीष उपरोक्त को धारा 363 भादवि में दोषी पाते हुये 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण द्वितीय- थाना कुठौन्द में मु0अ0सं0 138/13 धारा 504 भादवि बनाम वृजबिहारी पुत्र रामशंकर नि0 ऊमरी थाना रामपुरा जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय एजेएम जालौन, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त वृजबिहारी उपरोक्त को दोषी पाते हुये जेल में बितायी गयी अवधि व 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।